राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांकः– प.23(60) गृह–5/2012 जयपुर, दिनांक फरवरी 27, 2015

परिपत्र

विषयः– आपराधिक प्रकरणों में अनुसंधान पत्रावलियों के स्थानांतरण व अनुसंधान अधिकारी बदलने के संबंध में नीति।

आपराधिक प्रकरणों में अनुसंधान के स्थानांतरण व अनुसंधान अधिकारी बदले जाने के संबंध में विभागीय परिपत्र की समसंख्यांक दिनांक 3 अगस्त 2012 को जारी किया गया था, जिसके अनुच्छेद संख्या 14 में यह प्रावधान है कि एक प्रकरण का अनुसंधान तीन से अधिक बार स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा।

यतः यह राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि आपराधिक प्रकरणों में तीन बार से अधिक अनुसंधान अधिकारी बदले जा रहे है, जिससे अनुसंधान में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

अतः राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आपराधिक प्रकरणों के अनुसंधान में अनुसंधान अधिकारी का परिवर्तन किसी भी सक्षम प्राधिकारी के स्तर से एक बार से अधिक नहीं हो। विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार के स्तर पर अधिकतम 2 बार अनुसंधान परिवर्तन किया जा सकता है। यह सुनिश्चित किया जावे कि किसी भी आपराधिक प्रकरण में अनुसंधान तीन बार से अधिक किसी भी स्थिति में नही बदला जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

27/02/15

(ए. मुखोपाध्याय)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,गृह

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय गृहमंत्री महोदय।
3. उप सचिव कार्यालय मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर ।
5. विशिष्ठ शासन सचिव, गृह (विधि) विभाग।
6. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध शाखा) राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आपके अधीनस्थ सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों को इस नीति की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ भिजवाने का श्रम करे।
7. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (एटीएस एवं एसओजी) राजस्थान, जयपुर।
8. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (सिविल राईटस) राजस्थान, जयपुर।

27/02

(शंकरलाल कुमावत)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

27/2/15

17/1/17
(जगदीप सिंह कुशवाह)
वरिष्ठ शासन उप सचिव